

1.4.

MD 11/2
03-4-21

संख्या-948 /III(2)/21-13(प्रा0आ0)2005

1090

768

प्रेषक,
रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

C.E (P) / 880
114
प्रमुख लो. नि. वि.

3500P25

अभियन्ता (नियोजन),
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

देहरादून: दिनांक 21 मार्च, 2021

विषय:- टी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता के विकासखण्ड कालसी में पंजीटिलानी-सैंज मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 541/III-2/05-13(प्रा.आ.) 2005 दिनांक 30 जून, 2005 के द्वारा लम्बाई 8.00 किमी. तथा लागत रू0 111.20 लाख की प्रदान की गई है।

CAO-II

3/04/21

2. उक्तानुसार प्रदत्त स्वीकृति के सापेक्ष वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति विलम्ब से (वर्ष 2016) प्राप्त होने तथा इस मध्य श्रमिक, सामग्री/मशीनरी की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण पूर्व स्वीकृत लागत रू0 111.20 लाख में सम्पूर्ण लम्बाई में कार्य पूर्ण न हो पाने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन का परीक्षण शासन स्तर पर किये जाने पर तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी सम्पूर्ण लागत रू0 268.45 लाख (रू0 157.25 लाख अतिरिक्त लागत + रू0 111.20 लाख पूर्व स्वीकृत लागत) की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की पुनरीक्षित स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

श्री जे.पी.
03/4/21

(i) उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश संख्या- 541/III-2/05-13(प्रा.आ.)2005 दिनांक 30 जून, 2005 द्वारा पूर्व स्वीकृत लागत रू0 111.20 लाख को, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 268.45 लाख से घटाते हुए, अतिरिक्त लागत रू0 157.25 लाख में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश दिनांक 30.06.2005 केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

AO (नि.)
03/4/21

(ii) विषयगत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय-समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

m

- (v) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (vi) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (vii) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- (viii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।
- (ix) पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
3. उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-31 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 चालू निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 1142/XXVII(2)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Rumi भवदीय,
(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

संख्या /III(2)/21-13(प्रा0आ0)/2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो.नि.वि., देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि., सहिया।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd



E-mail: iecpwduk@nic.in

पत्रांक- 340 /20 याता0'क'/2021

दिनांक-05.04.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।


आर0 सी0 एस0 पवार
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

05.04.21